सायना इंटरनेशनल स्कूल,कटनी (म.प्र.)

दिनाँक : 18.09.18

आदरणीय अभिभावक,

स्कूल द्वारा यह देखा जा रहा है कि डे बोर्डिंग के विद्यार्थी कई बार बिना किसी विधिवत सूचना के स्कूल से अनुपस्थित हो जाते हैं, वहीं बोर्डिंग के विद्यार्थी आउटिंग के बाद विलंब से वापस स्कूल आते हैं। इससे स्कूल का अनुशासन तो भंग होता ही है साथ ही विद्यार्थी कक्षा की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों से वंचित हो जाते हैं, जिसका प्रभाव उसके परीक्षा परिणाम पर भी परिलक्षित होता है। सी.बी.एस.सी. के आदेशानुसार छात्र की उपस्थिति यदि 75 % से कम होती है तो वह बोर्ड/वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता से वंचित हो जाएगा।

विद्यालय प्रशासन ने छात्रों के लिए सत्र में एक बार अधिकतम पाँच दिन के विशेष अवकाश की सुविधा भी दी है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर लिया जा सकता है लेकिन यह अवकाश किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़कर नहीं लिया जा सकता।

किसी सगे संबंधी के विवाह के लिए अधिकतम दो दिन का अवकाश लिया जा सकता है।

यदि कोई छात्र किसी भी परीक्षा में बिना अवकाश स्वीकृत हुए अनुपस्थित होता है तो उसे उस विषय विशेष में शून्य अंक दिया जाएगा। यदि छात्र चिकित्सकीय कारणों से परीक्षा में अनुपस्थित है तो उसे अनुपस्थिति की सूचना अपने कक्षा शिक्षक या समन्वयक को उसी दिन देना अनिवार्य है। तीन दिन या उससे अधिक के चिकित्सावकाश के मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र के साथ डॉक्टर का पर्चा, दवाइयों का बिल, पैथोलॉजिकल रिर्पोट एवं फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।

विद्यालय अभिभावकों के सहयोग के लिए सदैव तत्पर है और आपके सहयोग की अपेक्षा करते हुए चाहता है कि आप बच्चों को वर्तमान चुनौती पूर्ण समय में अनुषासन का महत्त्व समझाएँ एवं नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें जिससे बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास हो और वह वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हो सके।

अभिभावकों से अनुरोध है कि आप अपने बच्चे की शिक्षा एवं अनुशासन को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक अवकाश न लें।

धन्यवाद.

प्राचार्य

सायना इंटरनेशनल स्कूल, कटनी (म.प्र.)